उत्तर प्रदेश शासन
धर्मार्थ कार्य विभाग
संख्या-10/2015/978/2015/57-2015-3(10)/2015
लखनऊ दिनांक: 30 सितम्बर, 2015

विज्ञप्ति/प्रकीर्ण

विषय- लेह लद्दाख स्थित सिन्धु दर्शन की तीर्थ यात्रा से होकर लौटने वाले उ0प्र0 राज्य के मूल निवासियों को राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

उ0प्र0 राज्य के मूल निवासी जो लेह लद्दाख स्थित सिन्धु दर्शन की तीर्थ यात्रा पूर्ण कर वापस आते हैं, को निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1- उ0 प्र0 के मूल निवासियों को 100 यात्रियों की सीमा तक, जो वर्तमान में भी प्रदेश में निवास कर रहे हों, को उ0प्र0 सरकार द्वारा प्रति व्यक्ति को रू0 10 हजार की धनराशि, अनुदान स्वरूप दी जायेगी, जिसमें आवेदक द्वारा सक्षम स्तर से निर्गत निवास प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

2- अनुदान वर्तमान लागू प्रक्रिया के अनुसार यात्रा में सम्मिलित होने वाले तथा यात्रा पूर्ण करने वाले यात्रियों को ही देय होगी।

3- अनुदान की धनराशि यात्रा के पूर्ण होने के उपरान्त प्रतिपूर्ति योग्य होगी।

4- जीवन काल में किसी यात्री को एक ही बार अनुदान दिया जायेगा।

5- अनुदान की सुविधा मामले में बजट प्राविधानित धनराशि तक ही यात्रियों को देय होगी तथा सीमित रहेगी।

6- यात्रा में सम्मिलित यात्रियों को यात्रा समाप्त होने के पश्चात् तीन मास के अन्दर उ0प्र0 के मूल निवासी प्रमाण-पत्र के आधार पर अनुदान स्वीकृत किया जायेगा।

7- यात्रियों को दी जाने वाली सहायता राशि की सम्पूर्ण धनराशि महानिदेशक पर्यटन के निर्वतन पर रखी जायेगी। धर्मार्थ कार्य विभाग द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों की संवीक्षा कर पात्र यात्रियों की सूची महानिदेशक पर्यटन को उपलब्ध करायी जायेगी, तत्पश्चात पात्र आवेदकों के नाम का पृथक्-पृथक् चेक महानिदेशक पर्यटन द्वारा धर्मार्थ कार्य विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा। उल्लेखनीय है कि चेकों का वितरण धर्मार्थ कार्य विभाग द्वारा किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

8- किसी यात्री की मृत्यु होने की दशा में यथास्थिति पत्नी/पति या आश्रित के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर अनुदान की प्रतिपूर्ति हेतु विचारोपरान्त निर्णय लिया जायेगा।

9- आर्थिक सहायता हेतु आवेदन का प्रारूप निम्नवत् है:-

लेह लद्दाख स्थित सिन्धु दर्शन की तीर्थ यात्रा हेतु आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र

1- यात्री का नाम:-

2- पिता/पति का नाम:-

3- व्यवसाय:-

4- निवास स्थान का पूर्ण पता:-

(दूरभाष संख्या हो तो)

5- लेह लद्दाख स्थित सिन्धु दर्शन की यात्रा पूर्ण करने का प्रमाण-पत्र:-

6- यात्रा पर हुए व्यय का विवरण:-

7- लेह लद्दाख की क्या प्रथम यात्रा है हां या नहीं:-

8- पहचान पत्र:-

स्थान:-

दिनांक:- आवेदक के हस्ताक्षर

नोट- आवेदन पत्र, सचिव/प्रमुख सचिव, धर्मार्थ कार्य विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ को तीन माह की अवधि में प्रेषित करना होगा अभिलेखों की छायाप्रतियां किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित होना चाहिए, अन्यथा आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकता है।

2- उक्त पर होने वाला व्यय आय व्ययक के अनुदान संख्या-84 के लेखा शीर्षक-2250-अन्य सामाजिक सेवायें-101-धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए दान-06-प्रदेश के सिन्धी समाज के तीर्थ यात्रियों के लिए अनुदान-42-अन्य व्यय की मद में वहन किया जाएगा।

नवनीत सहगल
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-(1)/2015/978(1)/2015/57-2015-3(10)/2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित[1&]

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0 प्र0 शासन।

2- प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग, उ0 प्र0 शासन।

3- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0 प्र0 इलाहाबाद को इस आशय के साथ प्रेषित कि सरकारी गजट के साधारण अंक में तत्काल प्रकाशित कराते हुए विज्ञप्ति/प्रकीर्ण की 500 प्रतियाँ शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

4- महानिदेशक पर्यटन उ0 प्र0 लखनऊ

5- उपाध्यक्ष, उ0प्र0 सिन्धी अकादमी लखनऊ-21 बी0सी0 गोमती रेजीडेन्सी, अशोक मार्ग, लखनऊ 226001

6- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी इलाहाबाद, उ0 प्र0।

7- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0 प्र0।

8- वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ।

9- समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उ0 प्र0।

10- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5, उ0 प्र0 शासन।

11- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार), धर्मार्थ कार्य, उ0 प्र0।

12- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन।

13- सामान्य प्रशासन अनुभाग।

14- विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
बाबूलाल श्रीवास
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।